हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 113

बुधवार, 30 मार्च, 2016/10 चैत्र, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

बैठक के प्रारम्भ होते ही श्री रिखी राम कौंडल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मैंने और श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय सदस्य ने पिछले कल नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिसको आपने रिजैक्ट कर दिया है। आज भी समाचार पत्रों में इस बारे सुर्खियों में समाचार छपा है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। माननीय मुख्य मन्त्री के खिलाफ बड़े-बड़े समाचार पत्रों में समाचार छप रहे हैं। प्रदेश में एक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल को स्थगित करके इस विषय पर आज ही चर्चा करवाई जाए। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने भी उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि इस गम्भीर विषय पर तत्काल चर्चा करवाई जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा :-

> **"मैंने आपका नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव रिजैक्ट कर दिया है। No adjournment motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigated any matter, shall ordinarily be permitted to be moved:**

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject of stage of enquiry, if Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal or statutory authority or commission or court of enquiry, as the case may be."

(अपराह्न 11.20 बजे विपक्ष के शोर तथा नारेबाज़ी के दौरान सदन की बैठक अपराह्न 11.30 बजे तक स्थगित की गई)

(अपराह्न 11.30 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

11.30 AM

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 3059, 3060, 3062, 3065, 3067, 3073, 3074, 3076 तथा 3079 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3058, 3061, 3063, 3064, 3066, 3068 से 3072, 3075, 3077 तथा 3078 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 3080 से 3092 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1300 से 1309 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

<u>12-00 PM</u>

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष से आग्रह किया कि चूंकि यह मामला Court में है, Sub-judice है इसलिए इस पर चर्चा करने के लिए जोर न डालते हुए आप सदन की कार्यवाही में भाग लें।

2. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्यमन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क संचरना विकास बोर्ड, शिमला का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2014-15।

(3) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **141वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 88वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **142वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 114वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तिर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सभापति, अधिनस्थ विधायन समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **सप्तम मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) जोकि बारहवीं विधान सभा के अष्टम्, नवम् एवं दशम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) जोकि बारहवीं विधान सभा के अष्टम्, नवम् एवं दशम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

4. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

मांग संख्या : 8-शिक्षा

मांग पर आगे चर्चा :-

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1.) श्री इन्द्र सिंह
2.) श्री विजय अग्निहोत्री
3.) श्री बिक्रम सिंह

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

चर्चा जारी :-

4.) श्री जय राम ठाकुर
5.) श्री महेश्वर सिंह
6.) श्री सुरेश भारद्वाज
7.) श्री रविन्द्र सिंह
8.) श्री नरेन्द्र ठाकुर
9.) श्री हंस राज
10.) श्री बिक्रम सिंह जरयाल

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 5.20 तक बढ़ाई गई)

(सांय 5.18 बजे विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

(सदन की बैठक सांय 5.20 बजे वीरवार, दिनांक 31 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)